प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र) राजस्थान सरकार, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर दिनांक 21 अगस्त 2020 को प्रस्तुत कर दिया गया है । प्रतिवेदन में ₹ 316.42 करोड़ के मामले प्रदर्शित किये गये है, जिसमें राजस्व क्षेत्र के ₹ 255.51 करोड़ तथा आर्थिक क्षेत्र के ₹ 60.91 करोड़ सम्मिलित है । प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं में से कुछ को आगामी अनुच्छेदों में दर्शाया गया है ।

1. सामान्य

राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2017-18 में ₹ 1,27,307 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2018-19 में ₹ 1,37,873 करोड़ थीं । सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व राशि ₹ 75,983 करोड़ में कर राजस्व ₹ 57,380 करोड़ तथा गैर कर राजस्व ₹ 18,603 करोड़ शामिल था । भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 61,890 करोड़ (विभाजन योग्य केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 41,853 करोड़ एवं सहायता अनुदान ₹ 20,037 करोड़) थीं ।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा अवगत करवाये जाने के उपरान्त कुल ₹ 87.01 करोड़ की वसूली की गयी ।

2. 'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

'**परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली**' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित दृष्टिगोचर हुआः

- पंजीयन हेतु आवेदन एक से सात वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत किये गये और नियमों में प्रावधानों के अभाव में, पंजीयन प्रमाण पत्र 15 वर्ष तक वैधता के साथ जारी किये गये । इस प्रकार ये वाहन 15 वर्ष से अधिक अवधि के लिये संचालित होंगे ।
- अप्रैल 2014 से मार्च 2019 के मध्य की अवधि के लिये 2,736 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 20.24 करोड़ के मोटर वाहन कर तथा विशेष पथकर का भुगतान नहीं किया गया ।
- 1,133 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 11.04 करोड़ के एकमुश्त कर का कम भुगतान किया गया ।
- पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, लाइसेंस जारी /नवीनीकरण करने एवं बंधक समझौते (hypothecation agreement) के पृष्ठांकन हेतु संशोधित शुल्क की वसूली न करने के कारण ₹ 70.87 लाख की कम वसूली हुई ।
- एमनेस्टी योजना के अंतर्गत 51 वाहनों को ₹ 38.32 लाख की अनियमित छूट प्रदान की गयी ।
- 12 कार्यालयों में ₹ 13.23 करोड़ की लागत से स्वचालित ट्रेक्स का निर्माण किया गया किन्तु वे परिचालन में नहीं थे ।
- वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान मात्र 2.47 से 11.68 प्रतिशत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किये गये ।

- राज्य सड़क सुरक्षा नीति में राज्य में वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटना मृत्यु को वर्ष 2015 के आधारभूत अंकों के 50 प्रतिशत तक कम करने की दृढ़ प्रतिबद्धता प्रकट की गयी है । वर्ष 2018, 2019 व 2020 के लिये क्रमशः 15, 15, एवं 20 प्रतिशत के वार्षिक लक्ष्यों के विरुद्ध सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु में मात्र 0.43, 0.62 एवं 1.80 प्रतिशत की ही कमी हुई ।
- वर्ष 2017-18 के दौरान हुई 8,964 दुर्घटनाओं में से 5,968 दुर्घटनाओं में (67 प्रतिशत) गैर-परिवहन वाहन संलिप्त थे, जिनमें से 93 प्रतिशत दुर्घटनायें खतरनाक वाहन चालन एवं वाहन चालकों की लापरवाही के कारण हुईं । अतः सड़क सुरक्षा के उद्देश्य हेतु नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है ।

3. '**राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति का क्रियान्वयन**' की जांच

'**राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति का क्रियान्वयन**' की जांच में ज्ञात हुआ किः

- विभाग द्वारा निर्धारित अनाज से अल्कोहल के उत्पादन (40 बी एल प्रति क्विंटल) तथा प्रासव के मापन के मानक सही नहीं हैं तथा इनमें आसवानियों (distillers) द्वारा अपनायी गयी किण्वन एवं आसवन (Fermentation and Distillation) कुशलता के अनुसार संशोधित किये जाने की आवश्यकता है ।
- ब्रेवरीज द्वारा माल्ट एवं अन्य कच्चे माल से बीयर उत्पादन के निर्धारित मानकों को प्राप्त नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप बीयर का कम उत्पादन हुआ ।
- वर्ष 2014-15 में मदिरा उपभोग 4830.45 बल्क लीटर से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 5726.23 बल्क लीटर हो गया । यह दर्शाता है कि विभाग मद्यसंयम नीति के अनुसार उचित जागरूकता का प्रसार नहीं कर सका ।
- जन जागरूकता अभियानो को उचित रूप से आयोजित नहीं किया गया क्योंकि वर्ष 2015-18 के दौरान आवंटित बजट का मात्र 53 प्रतिशत ही प्रसारण माध्यमों पर व्यय किया गया ।
- 2015-18 के दौरान 228 अनुज्ञाधारियों के सम्बन्ध में आबकारी शुल्क की मासिक गारण्टी जमा कराने में राशि ₹ 6.05 करोड़ की कमी रही ।
- निर्धारित समयावधि में आवश्यक प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम विशेषाधिकार राशि जमा न कराये जाने के कारण 13 दुकानों/समूहों का चयन निरस्त किया जाना चाहिये था । सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा कार्यवाही के अभाव में सरकार को ₹ 3.13 करोड़ के जमा अमानत राशि, प्रतिभूति जमा, अग्रिम विशेषाधिकार राशि, जिसे जब्त किया जाना चाहिये था, से वंचित रहना पड़ा ।
- परिधीय क्षेत्र की छः कम्पोजिट दुकानों/समूहों हेतु ₹ 56.50 लाख का कम्पोजिट शुल्क निर्धारित किया जाना था किन्तु सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा इन अनुज्ञाधारियों से मात्र ₹ 13.33 लाख ही निर्धारित एवं वसूल किये गये । इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 43.17 लाख की राजस्व हानि हुई ।

4. 'प्रधान खनिजों से प्राप्तियां' की लेखापरीक्षा जांच

'**प्रधान खनिजों से प्राप्तियां**' की लेखापरीक्षा जांच में ज्ञात हुआ कि:

- खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा खनिज नीति 2015 के सन्दर्भ में किया गया सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण कार्य नगण्य है क्योंकि यह लक्षित वृद्धि 3,287.59 वर्ग किलोमीटर के विरुद्ध मात्र 19.89 वर्ग किलोमीटर (0.61 प्रतिशत) में ही किया गया।
- खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार खनन पट्टा क्षेत्रों में खनन गतिविधियाँ नहीं रोकी गयीं, जिसके परिणामस्वरूप 25 मई 2015 एवं मार्च 2019 के मध्य दो खानों से ₹ 2,937.42 करोड़ मूल्य का 2.41 करोड़ मीट्रिक टन खनिज लिग्नाइट निर्गमित किया गया जिसमें से 49 प्रतिशत (₹ 1,439.34 करोड़) पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की सहायक को गया था।
- नमूनों के अपनी प्रयोगशाला में जाँच की विभागीय व्यवस्था के अभाव में आठ प्रधान खनिज पट्टाधारियों द्वारा 2015-16 से 2018-19 के मध्य विभाग के प्रधान खनिजों से कुल राजस्व का 63.09 से 76.98 प्रतिशत भुगतान उनके स्वयं के द्वारा निर्धारित अयस्क/मिश्रण में धातु तत्व की प्रतिशतता के आधार पर किया जा रहा था।
- विभागीय वेब पोर्टल के माध्यम से जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) फण्ड के भुगतान के प्रावधानों के अभाव में 21 प्रधान खनिज पट्टाधारियों द्वारा DMFT फण्ड में राशि ₹ 36.96 करोड़ का कम भुगतान किया गया।
- विभाग द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) फण्ड में किये जाने वाले अंशदान के सही भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरुप 22 प्रधान खनिज पट्टाधारियों द्वारा अवधि 2015-16 से 2017-18 के दौरान NMET फण्ड राशि ₹ 19.54 करोड़ का कम भुगतान किया गया।
- विभाग ने सरकार को देय रॉयल्टी एवं अन्य राशियों के 38 से 2,764 दिनों से विलम्ब से भुगतान पर ब्याज आरोपित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.16 करोड़ के ब्याज का अनारोपण हुआ।
- दो चूना पत्थर (सीमेंट ग्रेड) खनन पट्टों के रॉयल्टी निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय सही क्लिंकर- चूना पत्थर अनुपात (Clinker-Limestone ratio) को प्रयोग नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 0.87 करोड़ की रॉयल्टी का कम आरोपण हुआ।

5. 'विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की कार्यप्रणाली' की लेखापरीक्षा जांच

'**विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की कार्यप्रणाली**' की लेखापरीक्षा जांच में ज्ञात हुआ कि:

- विज्ञान एवं तकनीकी विभाग (विभाग) की स्थापना वर्ष 1983 में समाज में वैज्ञानिक समझ के विकास एवं जनसमूह, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक-सामाजिक स्थिति एवं विज्ञान एवं तकनीक के लाभों का उपयोग कर समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से की गयी। 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिये जनवरी से जून 2019 में लेखापरीक्षा की गयी। कार्यालय निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के साथ पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की गयी।

- विभाग द्वारा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके क्योंकि आवंटित बजट का मात्र 45.65 प्रतिशत ही उपयोग किया गया, सेटकॉम डिवीज़न की विभिन्न परियोजनाओं के लिये 2015-16 से 2018-19 की अवधि में राज्य योजना शीर्ष के अंतर्गत आवंटित सम्पूर्ण बजट समर्पित कर दिया गया।
- विभाग द्वारा बायो-टेक्नोलॉजी नीति 2015 को छोड़कर कोई व्यापक नीति (दीर्घ अवधि/लघु अवधि) एवं दिशा निर्देशक सिद्धांत तैयार नहीं किये गये; तथा इस नीति के उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किये जा सके।

6. 'माल एवं सेवा कर के अंतर्गत पंजीयन, प्रतिदाय एवं ट्रांजिशनल क्रेडिट' की लेखापरीक्षा

'**माल एवं सेवा कर के अंतर्गत पंजीयन, प्रतिदाय एवं ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा**' में ज्ञात हुआ कि:

- लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग के पास जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन की दिनांक के सम्बन्ध में आँकड़े उपलब्ध नहीं थे, इसलिये पंजीयन पूर्व स्टॉक पर आगत कर लाभ के अनियमित दावे की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- कुल 132 करदाता जिनका अवधि 2016-17 के दौरान सकल पण्यावर्त (Turnover) ₹ 25 करोड़ से अधिक था, वैट के अंतर्गत पंजीकृत थे, जिनमें से 70 करदाता अंतिम रूप से जीएसटी में स्थानांतरित नहीं हुए।
- एसजीएसटी प्राधिकारियों द्वारा छः प्रकरणों में अनुमत्य राशि ₹ 1.70 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.21 करोड़ प्रतिदाय किये गये। इस प्रकार ₹ 0.51 करोड़ का त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय दिया गया। सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं चार प्रकरणों में ₹ 0.41 करोड़ वसूल किये गये।
- राज्य क्षेत्राधिकार के 123 करदाताओं की जांच में पाया गया कि 30.06.2017 को सम्बंधित विवरणियों में उपलब्ध अंतिम शेष के विरुद्ध 14 करदाताओं द्वारा अपनी TRAN-1 विवरणियों में ₹ 94.77 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट (एसजीएसटी) का अधिक दावा किया गया तथा नौ करदाताओं द्वारा अपनी TRAN-1 विवरणियों में ₹ 128.47 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट (सीजीएसटी) का अधिक दावा किया गया।

7. बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर

- लेखा परीक्षा में सीएसटी/वैट/प्रवेश कर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान कर/ब्याज के अनारोपण/कम आरोपण, आगत कर का अनियमित लाभ दिये जाने एवं अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं होने के 58 प्रकरण देखे गये जिनमें ₹ 59.29 करोड़ शामिल थे।

8. भू-राजस्व

- कार्यालय द्वारा भू-राजस्व विभाग की 105 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। तीन इकाइयों (छः प्रकरणों) में अधिनियम/नियमों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप गलत दरें लगाने से भूमि की कीमत एवं नियमितिकरण प्रभार कम लेने तथा कृषि भूमि के

गैर कृषि प्रयोजनार्थ अनधिकृत उपयोग से सम्बंधित राशि ₹ 3.98 करोड़ की मुख्य अनियमिततायें पायीं गयीं।

9. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

- कार्यालय द्वारा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की 100 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। 23 इकाइयों, जहां कि 104 प्रकरणों में, कृषि/आवासीय/मैरिज गार्डन/वाणिज्यिक/संस्थानिक भूमियों को विक्रय पत्रों/किरायेनामों/उपहार पत्रों/खनन पट्टों/बंधक पत्रों/हक़ त्याग पत्रों/ विक्रय प्रमाण पत्रों के रूप में पंजीकृत किया गया था, में मुख्य अनियमिततायें पायीं गयीं। इसके मुख्य कारण चेक लिस्टों में सम्पूर्ण सूचना नहीं दिया जाना अथवा दस्तावेजों/संलग्न सहायक दस्तावेजों के विवरणों में बताये गये तथ्यों का 'ई-पंजीयन' में गलत इनपुट दिया जाना था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.82 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

10. राज्य आबकारी

- राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के उल्लंघन में 249 अनुज्ञाधारियों ने 2017-18 के दौरान निर्धारित सीमा तक भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के उठाव में वृद्धि नहीं की। जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा कम्पोजिट शुल्क की गलत गणना एवं आरोपण के कारण ₹ 206.99 लाख की कम वसूली हुई।

11. कर-इतर प्राप्तियां

- विभाग द्वारा रॉयल्टी संग्रहण ठेकों के त्रुटिपूर्ण संशोधन के कारण ₹ 1.97 करोड़ के रॉयल्टी एवं DMFT फण्ड की कम वसूली हुई।

12. लोक निर्माण विभाग/जल संसांधन विभाग

- लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग ने मूल्य वृद्धि क्लॉज के तहत उचित समायोजन सुनिश्चित किए बिना अंतिम बिल पारित किए, गलत थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्षों पर आधारित मूल्यवृद्धि दावों की गणना एवं भुगतान किये गये और वित्तीय बोली खोलने की तिथि को आधार तिथि मानने की बजाए गलत तरीके से तकनीकी बोली खोलने की तिथि को आधार तिथि माना जिसके परिणामस्वरूप संवेदकों को अधिक भुगतान किया गया।

- लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रामगढ़ पचवारा से कंवरपुरा रोड़ पर गलत श्रृंखला में फ्लश कॉजवे (flush causeway) निर्माण पर ₹ 1.22 करोड़ का निष्फल व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप, बारिश के दौरान सड़क का 800 मीटर हिस्सा बह गया।

- लोक निर्माण विभाग द्वारा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के उल्लंघन में एक संवेदक को ₹ 0.78 करोड़ का भुगतान कार्य आदेश देने के एक सप्ताह के भीतर किया गया। तथापि, कार्य, कार्यादेश जारी करने के एक वर्ष के बाद शुरू किया गया था।